प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
ओडिशा, भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I),
ODISHA, BHUBANESWAR

परिपत्र / Circular

विषय/Subject: आदरणीय सी.ए.जी महोदय के अनुमोदन से गठित कमेटी की सिफारिशों के पृष्ठ सं. 2 के बिंदु-1 एवं पृष्ठ सं. 3 के बिंदु-3 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 की अनुपालना के संबंध में।
Regarding compliance of Section 3(3) of Official Language Act 1963 and Rule 5 of Official Language Rules 1976 in respect of Point No.-1 of Page No. 2 and Point No.-3 of Page No. 3 as per the recommendations of the committee constituted with the approval of the Hon'ble CAG.

संदर्भ/
Reference: ज्ञापन संख्या हिंदी प्रकोष्ठ/38/ मुख्यालय संबंधी पत्र/290 दिनांक 20.02.2023

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस परिपत्र के साथ संलग्न मुख्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 92/रा.भा.अ/80-2022 दिनांक 23.02.2023 जो स्वत: स्पष्ट है, आपके सूचनार्थ, अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अग्रेतर इस कार्यालय के सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि संलग्नक सहित परिपत्र को अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं एवं संलग्न अनुलग्नक 'क' में निर्दिष्ट बिंदुओं की पूर्ण अनुपालना नियमित रूप से सुनिश्चित करवाएं।

Please find herewith the enclosed Headquarters' letter No. 92/OLA/80-2022 dated 23.02.2023 on the subject cite above, which is self-explanatory for information, perusal and necessary action. Further, all the branch officers of this office are requested to bring this circular including enclosures to the notice of all the officers and employees under their control and also ensure the absolute compliance of the points specified in the enclosed Annexure 'A' on regular basis.

हस्ता/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)
Deputy Accountant General (Admn)

ज्ञापन संख्या/ Memo No.हिंदी प्रकोष्ठ/38/ मुख्यालय संबंधी पत्र/307 दिनांक/ Date: 17.03.2023
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि सादर अग्रेषित :-

1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) ओडिशा, भुवनेश्वर/ The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
2- निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/ IV/ Personal Asstt. Sr. DAG, AMG III/ IV
3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, प्रशासन/ ए.एम.जी. V/ Personal Asstt. DAG, Admn./AMG V

4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/ Personal Asstt. DAG, AMG II

5- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I/ Personal Asstt. DAG, AMG I

6- नियत्रंणाधिकारी / शाखा अधिकारी -

ए.एम.जी.-I	ए.एम.जी.-II	ए.एम.जी.-III	ए.एम.जी.-IV	ए.एम.जी.-V	ओ.एम. I एवं II
सम्पदा	ओ.ई.	प्र0 एवं परीक्षा	प्रशासन	विधिक	रिपोर्ट
रिपोर्ट पी.ए.सी.	ई.सी.पी.ए.	सचिवालय	कल्याण		

7- शाखाधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को संलग्नक के साथ कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

The Branch Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular along with its enclosures to the official website of this office.

8- सूचना पट्ट /Notice Board

9- अतिरिक्त प्रति / Spare Copy.

हिंदी अधिकारी

अनुलग्नक -'क'/Annexure- 'A'

हिंदी पखवाड़ा-2022 के समापन समारोह के अवसर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय के सुझाव के आधार पर आदरणीय सी.ए.जी. महोदय के अनुमोदन से एक समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में समिति द्वारा दिए गए सुझावों एवं समिति अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सभी से अनुरोध किया गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।

मुख्य बिंदु/ Salient Points

- मुख्यालय ने सूचित किया है कि:-
  - **राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को दविभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है** तथा
  - **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है।**

यहाँ उल्लेख करना है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित 14 दस्तावेज हैं जिन्हें पूर्ण रूप से द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी)/ Bilingual (Hindi & English) में जारी करना अनिवार्य है।

सामान्य आदेश (General Order)	अधिसूचनाएं (Notification)	प्रतिवेदन (Report)	नियम (Provisions / Rules)
अनुज्ञप्ति (License)	अनुज्ञा पत्र (Permit)	निविदा सूचनाएं (Tender Notice)	सूचनाएं (Notice)
संकल्प (Resolution)	संविदा (Contract)	निविदा प्रपत्र (Tender Form)	करार (Agreement)
प्रेस विज्ञप्तियां/ संसूचनाएं अथवा विज्ञापन (Press Release / Advertisements)			
संसद के किसी भी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन/ (Administrative and other reports to be laid before either House or Houses of Parliament)			

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली-110 124

OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

हिंदी प्रकोष्ठ (लेखापरीक्षा-1)/ Hindi Cell (Audit-I)
सी ए जी डायरी सं/ CAG Dy. No. 25
दिनांक Date 28/02/23

दिनांक/DATE 23.02.2023

सेवा में

1. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
2. मुख्यालय के सभी ग्रुप अधिकारी

विषय: सी.ए.जी महोदय के अनुमोदन से गठित कमेटी की सिफारिशों के पृष्ठ सं.2 के बिंदु-1 और पृष्ठ सं.3 के बिंदु-3 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 की अनुपालना के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 के अनुसार **राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)** के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है तथा **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5** के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है।

हिंदी पखवाड़ा-2022 के समापन समारोह के अवसर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय के सुझाव के आधार पर सी.ए.जी. महोदय के अनुमोदन से एक कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों एवं कमेटी-अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सभी से अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।

यह परिपत्र अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(भवानी शंकर)
महानिदेशक (राजभाषा)

मनालिका 27/2/23
SAO/Hindi Cell

Fwd: [Cag-all-offices] सी.ए.जी महोदय के अनुमोदन से गठित कमेटी की सिफारिशों के पृष्ठ सं.2 के बिंदु-1 और पृष्ठ सं.3 के बिंदु-3 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 की अनुपालना के संबंध में।

1 message

AG Audit I Odisha Bhubaneswar <agauorissa1@cag.gov.in>
To: Manalika Borgohain <borgohainm@cag.gov.in>
Cc: hindicellgssa <hindicellgssa@gmail.com>

Thu, Feb 23, 2023 at 4:29 PM

From: "Anil Pilani SAO" <anilpilani.cag@cag.gov.in>
To: "cag-all-offices" <cag-all-offices@lsmgr.nic.in>, "cag-dgpd-hq" <cag-dgpd-hq@lsmgr.nic.in>, "cag-hq-sao" <cag-hq-sao@lsmgr.nic.in>
Cc: "Bhawani Shankar" <shankarb@cag.gov.in>, "Meenakshi z" <meenakshi.cag@cag.gov.in>, "Hira Ballabh Bhatt" <hiraballabhb.cag@cag.gov.in>, "Bintoo z" <bintoo.cag@cag.gov.in>
Sent: Thursday, February 23, 2023 2:30:41 PM
Subject: [Cag-all-offices] सी.ए.जी महोदय के अनुमोदन से गठित कमेटी की सिफारिशों के पृष्ठ सं.2 के बिंदु-1 और पृष्ठ सं.3 के बिंदु-3 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 की अनुपालना के संबंध में।

विषय:- **सी.ए.जी महोदय के अनुमोदन से गठित कमेटी की सिफारिशों के पृष्ठ सं.2 के बिंदु-1 और पृष्ठ सं.3 के बिंदु-3 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 की अनुपालना के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संबंध में राजभाषा अनुभाग के पत्र सं.-92-रा.भा.अ./80-2022 दिनांक 23.02.2023 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न पाएं।

सादर,

अनिल कुमार पिलानी,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (राजभाषा)